<u>लोकसभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *262

31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्र की स्थापना

***262. श्री मलयाद्रि श्रीरामः**

श्री ए. अरूणमणिदेवनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के विशाखापट्टनम स्थित इस्पात संयंत्र ने अपने परिसरों में एक विशेष इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिये दक्षिण कोरिया की फर्म के साथ कोई करार किया है और यदि हां, तो इस करार की प्रमुख विशेषताओं तथा इसमें विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की भूमिका एवं भागीदारी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र इस उद्यम के लिये 3000 एकड़ भूमि प्रदान कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिये विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की संपत्तियों एवं भूमि के सुरक्षोपाय हेतु कौन से कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने आरआईएनएल के साथ एक संयुक्त उद्यम के जरिये 5 एमटीपीए इस्पात संयंत्र की स्थापना करने हेतु जापान एवं कोरिया की इस्पात कंपनियों के साथ बातचीत आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाले प्रस्तावित उद्यम से आयात विकल्प के लक्ष्य के साथ ऑटोमोटिव एवं अन्य क्षेत्रों हेतु हाई-एंड इस्पात का निर्माण होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“इस्पात संयंत्र की स्थापना” के बारे में श्री मलयाद्रि श्रीराम एवं श्री ए॰ अरूणमणिदेवन, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को उत्तर देने के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *262 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी नहीं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि किसी बाहर की कंपनी को आबंटित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, जो कंपनी के हित में होता है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने तथा भारत में प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग की स्थापना के लिये बनाई गई है। हमारी इस्पात कंपनियां और इस्पात मंत्रालय विशेष रूप से ऑटोमोटिव क्षेत्र, पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र (एपीआई श्रेणी का इस्पात) और इलैक्ट्रिकल क्षेत्र (सीआरजीओ इस्पात) में इस्तेमाल होने वाले उच्च श्रेणी के इस्पात के विनिर्माण के लिये भारत में इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये निरंतर प्रयासरत है जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया से प्राप्त विदेशी निवेश भी शामिल है।

*****